

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2007

(आयकर)

का.आ. 1448(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दिनांक 17 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ.888(अ) में निम्नलिखित आगे और संशोधन करता है, नामतः:-

अधिसूचना संख्या का.आ. 888 (अ) दिनांक 17 सितम्बर, 2007 की अनुसूची में, क्रम सं. 2 और उसके प्रविष्टियों के स्थान पर उक्त अधिसूचना में, क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः :-

क्रम सं.	आयकर प्राधिकारियों के पदनाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार	
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.	आयकर महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)	नई दिल्ली	(i)	आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), दिल्ली-I
			(ii)	आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), दिल्ली-II
			(iii)	आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), मुम्बई
			(iv)	आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), बंगलौर
			(v)	आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), चेन्नई
			(vi)	आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), कोलकाता
			(vii)	आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), अहमदाबाद
			(viii)	आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), पुणे
			(ix)	आयकर निदेशक (अंतरण मूल्य निर्धारण), दिल्ली-I
			(x)	आयकर निदेशक (अंतरण मूल्य निर्धारण), दिल्ली-II
			(xi)	आयकर निदेशक (अंतरण मूल्य निर्धारण), मुम्बई-I
			(xii)	आयकर निदेशक (अंतरण मूल्य निर्धारण), मुम्बई-II
			(xiii)	आयकर निदेशक (अंतरण मूल्य निर्धारण), बंगलौर
			(xiv)	आयकर निदेशक (अंतरण मूल्य निर्धारण), चेन्नई
			(xv)	आयकर निदेशक (अंतरण मूल्य निर्धारण), कोलकाता
			(xvi)	आयकर निदेशक (अंतरण मूल्य निर्धारण), अहमदाबाद
			(xvii)	आयकर निदेशक (अंतरण मूल्य निर्धारण), पुणे